7. निर्माणर्ता को अपार्टमेंट में समुचित जल आपूर्ति की व्यवस्था स्वंय करनी होगी।

8. निर्माणकर्ता को निजी ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करनी होगी, भवन में विधुत् आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ध्वनी एवं प्रदुषण रहित पर्याप्त क्षमता का जनरेटर लगाना होगा।

9. अग्निशमन पदाधिकारी, राँची के पत्रांक 121 दिनांक 19.05.09 में दर्शाये गये सभी बिन्दओं का अनुपालन निर्माता को करना अनिवार्य है।

10- Ground Coverage – 50% से ज्यादा नहीं होना है।

- F.A.R. – 2.5 से ज्यादा नहीं होना है।

11. Rain water Harvesting के साथ Ground Water Recharging का प्रावधान सुनिश्चित करना होगा।

12. भवन निर्माण में 50% Fly Ash Bricks का प्रयोग करना होगा।

13. भवन निर्माण पूरा होने पर Completion Certificate के साथ प्राधिकार को सूचित करना होगा तथा Occupancy Certificate प्राप्त किए बिना भवन में Occupancy नहीं दी जा सकेगी। Occupancy के पूर्व Fire Officer से जाँच कराकर जाँच की प्रति इस कार्यालय में समर्पित करें।

14. Adityapur Industrial Area Planning Standards and Building Bye- Laws 1990 (Amendment 2006) की धारा 2/1 एवं झारखंड अपार्टमेंट अधिनियम 2005 के सभी प्रावधानों की पालन करना होगा।

15. भवन निर्माण के दौरान प्राधिकार के द्वारा यदि कोई निर्देश दिया जाता है तो उस निर्देश का पालन सुनिश्चित करना होगा।

16. माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई विवादित भूमि/सरकारी भूमि/आदिवासी खाता की भूमि पर किसी भी हालत में भवन निर्माण नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो भवन प्लान रद्द माना जाएगा।

17. निर्माण स्थल पर एक बोर्ड लगाना होगा, जिस पर भूमि मालिक का नाम, निर्माणकर्ता का नाम, खाता एवं प्लॉट संख्या, रकवा, स्वीकृत भवन प्लान की परमिट संख्या, कुल स्वीकृत तल एवं कुल स्वीकृत फ्लैट आदि का विवरण देना होगा साथ ही केता को स्वीकृत भवन प्लान की अभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध करानी होगी।

18. भवन प्लान के स्वीकृति प्रति प्राप्त करने के पूर्व आवेदक, निर्माणकर्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी अभियंता को उपरोक्त शर्त्त के आशय का एक शपथ पत्र देना होगा।

19 तड़ित चालक भवन में लगाना अनिवार्य है।

20. निर्माण स्थल तक जाने के लिए 20 फीट का पहुँच पथ सुनिश्चित करेगें।

21. आपके द्वारा प्राधिकार में जमा किए गए शपथ पत्र सं0 09 दिनांक 17.07.09 में उल्लेख किया गया है कि फ्लैटधारी को आवंटन व फ्लैट का दखल कब्जा दिये जाने के तीन महीने के अंदर फ्लैट का निबंधन कर देगें। दखल कब्जा दिये जाने के तीन माह के अदंर यदि निबंधन नहीं होता है तो प्राधिकार आपके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिये स्वतंत्र होगा।

नियंत्रक

आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, आदित्यपुर, सरायकेला–खरसाँवा।

(Adityapur Industrial Area Planning Standards and Building Bye-Laws 1990 Amendment 2006) के तहत भवन प्लान की स्वीकृति)

प्रेषित

परमिट नं0 :– 1211/एडीए दिनांक 25.7.09

श्री प्रदीप महतो
द्वारा : सर्वश्री एस.के. कन्सट्रक्शन
दिंदली बस्ती,
शेरे–ए–पंजाब चौक,
आदित्यपुर।

विषय : नियंत्रित क्षेत्र के अन्तर्गत नया भवन निर्माण हेतु अनुमति।

महाशय,

समर्पित भवन प्लान **श्रीमति रेणुबाला महतो पति स्व0 कवि सेन महतो (जमाबंदी रैयत), एटर्नी प्राप्तकर्ता श्री प्रदीप महतो पिता – श्री काशीनाथ महतो के द्वारा** मौजा दिंदली, थाना नं–128, खाता नं0– 13, 15 (नया) /05, 06 (पुराना), प्लॉट नं0 1319, 1317, 1318 (नया)/1139, 1110, 1111 (पुराना) कुल रकवा 0.43 एकड़ भूमि पर भवन निर्माण हेतु भवन प्लान प्रस्तुत किया गया है। याचित राशि जमा कर दी गई है। भूमि के जाँच के कम में प्रस्तावित भूखंडो के बारे में अंचलाधिकारी, गम्हरिया के द्वारा पत्रांक 953 दिनांक 04.10.2008 तथा कार्यपालक अभियंता, झारखंड राज्य आवास बोर्ड का पत्रांक 438 दिनांक 22.02.08 द्वारा प्रतिवेदित है। अंचल निरीक्षक, आयडा द्वारा भी इसे सत्यापित किया गया है।

इस कार्यालय के पत्रांक 291/एडीए दिनांक 14.02.09 के सभी बिन्दुओं का निराकरण उनके पत्रांक PM/NOC/ 01/09 दिनांक 30.03.09 के द्वारा कर दिया गया है। समर्पित भवन प्लान बी + जी, + 4, कुल 51 फ्लैटस उँचाई 16.00 मी0 के भवन प्लान की स्वीकृति निम्न शर्त्तो पर दी जाती है।

1. भवन निर्माण में भवन के आगे 6.0 मी0, पीछे 5.0 मी0, दाहिने तरफ 1.80 मी0 तथा बाये तरफ 1.50 मी0 छोडकर भवन बनाना होगा। निर्माणकर्ता को भवन प्लान में दर्शाये गये ड्रेनेज एवं सिवरेज सिस्टम का प्रावधान स्वयं करना होगा।
2. आवेदक द्वारा दी गयी जानकारी एवं दस्तावेज में अंश भाग भी गलत पाये जोने पर भवन प्लान की स्वीकृति रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
3. स्वीकृत प्लान में किसी प्रकार का विचलन भवन निर्माण या उसकी उपयोगिता में मान्य नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में भवन की उँचाई/मंजिल की संख्या में वृद्धि नहीं होगी जबतक उसकी विधिवत स्वीकृति नहीं ली जाएगी।
4. निर्माण के गुणवता झारखंड लोक निर्माण विभाग/भारतीय मानक की विशिष्टयों के अनुरूप होगी। निर्माण कार्य एवं संरचना सही रूपांकन एवं उसकी सुरक्षा का दायित्व संबंधित अनुज्ञप्तिधारी अभियंता के साथ साथ निर्माण कर्ता पर होगी।
5. भूखंड के सामने चाहरदीवारी का निर्माण, लाईटिंग पोल की व्यवस्था पेभमेंट का निर्माण तथा पेड़ लगाने का कार्य अनिवार्य रूप से भवन उपनियम के अनुसार किया जायेगा।
6. निर्माण कार्य के आरंभ होने की सूचना प्राधिकार को देनी होगी तथा प्लींथ (दस दिनों के अन्दर) की जाँच कराने के बाद ही आगे का निर्माण कार्य जारी रखा जाएगा।